न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **39/21 (वाद)**

GCMS No. : 2021/74

1. श्री देवीलाल पिता भेरूलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)

............वादी

बनाम्

1. श्री भेरूलाल पिता गोदा जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
2. श्री चुन्नीलाल पिता भेरूलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती गंगाबाई पुत्री भेरूलाल जी पत्नी धनराज जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार हाल मुकाम सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती अनसु पुत्री भेरूलाल जी पत्नी बाबुलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती जमनाबाई पुत्री भेरूलाल जी पत्नी मोहन जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार हाल मुकाम पीपलिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती कंकु पुत्री भेरूलाल जी पत्नी सुखलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार हाल मुकाम सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती तुलसीबाई पुत्री भेरूलाल जी पत्नी भगवानलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार हाल मुकाम लदाना, वासनी कलॉ तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
8. श्री कन्हैयालाल पिता गोदा जी जाति जाट उम्र–वयस्क निवासी–बडियार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
9. श्री पटवारी पटवार हल्का बडियार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
10. श्री उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय, मावली तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
11. राजस्थान राज्य जरिये, तहसीलदार मावली जिला–उदयपुर (राजस्थान)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता वादी।
2. श्री ललित वसीटा, अधिवक्ता प्रतिवादी ।

वाद अन्तर्गत धारा 88–188–92–207 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 13.02.2026

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88–188–92–207 ए में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बडियार पटवार हल्का बडियार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राजस्थान) के आराजी नम्बर 1141, 1142, 1145, 11[illegible], 11[illegible], 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 11[illegible]0, 1174, 1175, 1176, 1180, 1563,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:53:01 IST
Reason: SelfAttested

1564, 1567, 1621, 1919/1639, 747, 754, 78, 79 किता 30 रकबा 17.7498 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सख्या–01 अर्थात मुझ वादी के पिता भेरूलाल के 1/4 हिस्से अनुसार व अन्य सहखातेदारो के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज है।

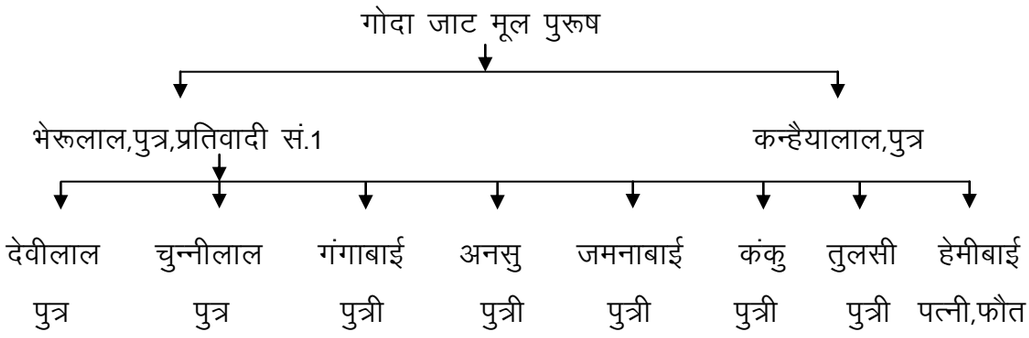

2. यह कि मुझ वादी एवं प्रतिवादी सख्या–01 से 08 के मूल पुरूष का सजरा इस प्रकार है :–

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात मुझ वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजीयात है उक्त वर्णित आराजीयात मुझ वादी के दादा जी गोदा जी जाट नि. बडियार के नाम पर दर्ज थी, उनके फौत के उपरान्त मुझ वादी व प्रतिवादी सख्या–02 से 07 के पिता प्रतिवादी सख्या–01 भेरूलाल व उनके भाई प्रतिवादी सख्या–8 कन्हैयालाल पिता गोदा जी जाट के नाम पर उक्त वर्णित आराजीयात जमाबन्दी में दर्ज हुई, उक्त आराजीयात मुझ वादी व प्रतिवादी सख्या–02 से 07 की पैतृक आराजीयात होकर मुझ वादी के पिता प्रतिवादी सख्या–1 भेरूलाल व प्रतिवादी सख्या–01 के भाई प्रतिवादी कन्हैयालाल पिता गोदा जी के नाम पर दर्ज हुई, उक्त वर्णित भूमि मुझ वादी व प्रतिवादी सख्या–01 से 08 की पैतृक भूमि होकर उस पर मुझ वादी एवं प्रतिवादी सख्या–07 का जन्म से ही अधिकार होकर मुझ वादी व प्रतिवादी सख्या–02 से 08 का हक हिस्सा है तथा उक्त वर्णित पैतृक पुश्तैनी आराजीयात मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या–01 के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज होने के पश्चात् प्रतिवादी सख्या–01 ने अपनी समस्त सम्पति को अपनी पूर्ण सहमति से उक्त पुश्तैनी आराजीयात व अन्य सम्पति का आधा हिस्सा मुझ वादी व आधा हिस्सा प्रतिवादी सख्या–02 एक सहमति ईकरार–पत्र मुझ वादी एवं प्रतिवादी सख्या–02 के पक्ष में निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से नोटेरी करवा तथा उक्त वर्णित प्रतिवादी सख्या–01 के हिस्से की सम्पति का 1/2 हिस्सा मुझ वादी को व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सख्या–02 चुन्नीलाल [illegible]या। किन्तु प्रतिवादी 02 व 08 ने प्रतिवादी सख्या–01 अर्थात मुझ वादी के [illegible] भेरूलाल को सिखावे में लेकर मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pungalia
Date: 2026.04.16 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता प्रतिवादी सख्या–01 के नाम 1/6 हिस्से की व मुझ वादी को प्राप्त अपने दादा की विरासत से मिलने वाले हक हिस्से की जमीन से वंचित करते हुए प्रतिवादी सख्या–01 के नाम पुश्तैनी पैतृक आराजीयात में से आ.न.–747, 754, 1563, 1564,1587 कुल किता–05 कुल रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा का 1/6 हिस्से की आराजीयात को प्रतिवादी सख्या–01 ने प्रतिवादी सख्या–02 से मिल कर प्रतिवादी सख्या–07 तुलसी देवी जाट पुत्री भेरूलाल जी जाट निवासी बडियार हाल मुकाम लदाना तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.) के पक्ष में एक दान–पत्र दिनांक–28.01.2019 को उप पंजीयन कार्यालय, मावली में निष्पादित कर प्रतिवादी सख्या–07 के पक्ष में पंजीयन करवा दान कर दी जिसका प्रतिवादी सख्या–01 को कोई वैधानिक हक व अधिकार प्राप्त नही है। जबकि उक्त भूमि मुझ वादी व प्रतिवादी 02 से 08 की पैतृक आराजीयात होकर मुझ वादी व प्रतिवादी सख्या–02 से 07 का प्रतिवादी सख्या–01 भेरूलाल जाट के यहां व प्रतिवादी सख्या–01 का उनके पिता गोदा जी के यहां जन्म लेते ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् उक्त भूमि में मुझ वादी एवं प्रतिवादी सख्या–01 से 08 का हिस्सा बनता है। किन्तु प्रतिवादी संख्या–01 ने उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी सख्या–07 को दान कर उनके पक्ष में पंजीकृत विक्रय दान–पत्र निष्पादित कर दिया, जबकि प्रतिवादी सख्या–01 को प्रतिवादी संख्या–07 के पक्ष में उक्त पैतृक जमीन को दान करने का प्रतिवादी सख्या–01 को कोई हक व अधिकार नही था कि मुझ वादी को अपने दादा गोदा जी की विरासत से मिलने वाले हिस्से की जमीन को रहन, बैह, बक्षीस, दान व अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने का कोई हक व अधिकार नही था।

4. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात जो मुझ वादी एवं प्रतिवादी 01 से 08 की पैतृक जमीन है उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में हमारे दादा जी के नाम पर दर्ज थी, उनके मणरोपरान्त उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी सख्या–01 व प्रतिवादी सख्या–01 के भाई को विरासत में प्राप्त हुई है, जिसको प्रतिवादी सख्या–01 ने उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में प्रतिवादी सख्या–01 ने अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुऐ मुझ वादी को अपने विरासत अनुसार मिलने वाले हक हिस्से की आराजीयात से वंचित करने की नियत से प्रतिवादी सख्या–01 ने प्रतिवादी सख्या–02 से मिल कर प्रतिवादी सख्या–07 तुलसीबाई को दान कर पंजीकृत दान–पत्र प्रतिवादी संख्या–07 के पक्ष में निष्पादित कर दिया जबकि उक्त वर्णित आराजीयात में मुझ वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक व अधिकार होकर हमारे हिस्सा है जो प्रतिवादी सख्या–01 भेरूलाल ने नाजायज रूप से मुझ वादी व प्रतिवादी सख्या–02 से 08 का हिस्सा दान–पत्र के माध्यम् से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2026.04.16 16:53:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सख्या–07 को दान कर दिया क्योकि उक्त वर्णित आराजीयात प्रतिवादी सख्या–01 के नाम दर्ज होने के कारण मुझ वादी एवं प्रतिवादी सख्या–02 से 08 का हिस्सा भी प्रतिवादी सख्या–02 के पक्ष में दान पत्र निष्पादित कर दान कर दिया है जिसका प्रतिवादी सख्या–01 को कोई विधिक अधिकार नही होने के बावजुद भी मैं वादी अपने वाद में मुख्य रूप से घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की दादरसी चाहता हूं, दादरसी प्राप्त करने हेतु कथित दान–पत्र को प्रभावशुन्य घोषित करना इन्सीडेन्टल के रूप में चाहता हूं। राजस्व रिकार्ड एवं जमांबदी में प्रतिवादी सख्या 01 अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर उक्त आराजीयात को मुझ वादी व प्रतिवादी सख्या–03 से 06 की बिना रंजामन्दी एवं बिना सहमती एवं मुझ वादी एवं प्रतिवादी सख्या–03 से 06 को अपने विरासत से मिलने वाले हिस्से से वंचित करते हुऐ प्रतिवादी सख्या–01 के नाम दर्ज 1/6 हिस्से की जमीन को प्रतिवादी सख्या–08 को रहन, बय, बक्षीस, दान एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर दी है, जिसका प्रतिवादी सख्या–01 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था, किन्तु प्रतिवादी सख्या–01 के नाम पर मुझ वादी व प्रतिवादी सख्या–02 से 08 का हिस्सा दर्ज होने के कारण हमारा हिस्सा भी प्रतिवादी सख्या–07 तुलसी को दान कर दिया है, जिसका प्रतिवादी सख्या–01 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था। प्रतिवादी सख्या–01 मुझ वादी को मेरे हिस्से से वंचित करने की नियत से प्रतिवादी सख्या–01 अपना नाम का नाजायज फायदा उठाते हुऐ मुझ वादी व प्रतिवादी सख्या–02 से 06 को हमारे दादा गोदा जाट की विरासत से प्राप्त हुई तथा उक्त वर्णित आराजीयात से मुझ वादी को अपने हक व हिस्से से जबरन बेदखल कर दिया है जिसका प्रतिवादी सख्या–01 को कोई हक, अधिकार नहीं है।

5. यह कि मुझ वादी व प्रतिवादी सख्या–01 की तरह उक्त आराजीयात में मुझ वादी एवं प्रतिवादी सख्या–02 से 06 को हमारे दादा गोदा जाट की विरासत से अधिकार प्राप्त हुआ है, तथा उक्त आराजीयात में मै वादी अपने हिस्से पर काबिज है, इसलिये प्रतिवादी सख्या–01 को मुझ वादी को अपने दादा जी की विरासत से प्राप्त होने वाले हिस्से की आराजीयात को किसी भी तरह से रहन, बैह, बक्षीस या दान करने का कोई हक, अधिकार नहीं था। मुझ वादी का प्राईमाफेसी मुकदमा है चूंकि मुझ वादी का जन्म मेरे दादा जी गोदा जी जाट के यहां होने से उनके विधिक वारीस के रूप में उक्त आराजीयात मुझे विरासत में मिली है, जिसको प्रतिवादी सख्या–01 ने बिना किसी हक व अधिकार एवं जबरन ताकत के बल पर मुझ वादी व प्रतिवादी सख्या–02 से 06 के हिस्से की जमीन को प्रतिवादी सख्या–07 को दान कर दिया है जिसका आंकलन मुझ वादी को रूपयों पैसे में नहीं किया जा सकेगा। वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात में मुझ वादी को मेरे दादा गोदा जी जाट के विधिक वारीस के होने से मै वादी मेरा हिस्सा खातेदारी हक, अधिकार से दर्ज कराने का अधिकारी है।

6. यह कि वाद–कारण दिनांक 10.02.2021 को पैदा हुआ जब प्रतिवादीया तुलसीबाई पटवारी पटवार हल्का के पास गयी और उक्त दान–पत्र के आधार पर उक्त वर्णित आराजीयात को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु कहा, और लगातार मुझ वादी को मेरे हिस्से वंचित करने का पूर्ण प्रयास कर रही है, जिससे वाद कारण पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

7. अंत में निवेदन किया की मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादी सख्या–01 के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावे उक्त वर्णित पैतृक पुश्तैनी आराजीयात में मुझ वादी को अपने दादा गोदा जी जाट की आराजीयात में वादी का हिस्सा जो मुझ वादी का अपने दादा गोदा जी के यहां पौत्र के रूप में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो गये है उसे घोषित फरमा कर मुझ वादी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज फरमाया जावें। प्रतिवादी सख्या–01 द्वारा मुझ वादी को मेरे दादा जी की विरासत से प्राप्त होने वाले हिस्से की आराजीयात को दान कर दान–पत्र प्रतिवादी सख्या–07 के पक्ष में सम्पादित करवाया व प्रतिवादी सख्या–01 ने प्रतिवादी सख्या–07 के पक्ष में सम्पादित दान–पत्र जिसमें मुझ वादी का हिस्सा व प्रतिवादी सख्या–02 से 06 का हिस्सा प्रतिवादी सख्या–01 ने प्रतिवादी सख्या–07 के पक्ष में दान कर दिया है उक्त दान–पत्र को प्रभाव शुन्य घोषित करना व इन्सीडेन्टल किया जावें। उक्त वर्णित अंकित आराजीयात में मुझ वादी का अपने दादा जी की विरासत से प्राप्त हिस्से व कब्जे की आराजीयात में प्रतिवादीगण कोई दखलंदाजी नही करें एंव मेरे विरासत अनुसार बनने वाले हिस्से की जमीन में किसी भी प्रकार को कोई निमार्ण कार्य व प्रतिवादी संख्या–01 के नाम दर्ज जमीन मुझ वादी के नाम पर हिस्से अनुसार घोषित फरमाने का आदेश फरमायें। उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या– 9 से 11 प्रकरण में आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जबाब दावा पेश नहीं करना चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को जवाब का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी जवाब पेश नही करने से जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत शपथ पत्र गवाह पी.डब्ल्यू 1 देवीलाल पिता भेरूलाल निवासी बडियार, गवाह पी. डब्ल्यू 2 माधुलाल पिता नाथू जाट निवासी जाट बस्ती–बडियार, गवाह पी.डब्ल्यू 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:53:01 IST
Reason: SelfAttested

लालुराम पिता हीरालाल जाट निवासी जाट बस्ती बडियार के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। गवाह पी.डब्ल्यू 1 द्वारा दस्तावेज मौजा बडियार की नकल जमाबन्दी नकल संवत 2077–80 के खाता संख्या प्रदर्श 1, खाता संख्या 237 प्रदर्श 2, मौजा बडियार की नकल जमाबंदी संवत 2032–35 प्रदर्श 3 पेश किए गए।

9. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादी का हक अधिकार जन्म से होने से खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने का अधिकारी है। वादी द्वारा दस्तावेज एवं गवाहो के बयानो से वाद को साबित कराने में सफल रहा है। अंत में निवेदन किया की वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी को हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादी अपने पिता के जीवनकाल में ही वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाह रहा है। वादी के पिता के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही दी जा सकती है। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2010(2)आरआरटी पेज नम्बर 1336, 2024(4) CJ(Civ.) (Raj.) पेज नम्बर 2243, आरआरटी 2010(1) पेज नम्बर 273 पेश किए गए।

10. हमनें विद्धवान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया, प्रकरण में वर्णित तथ्यों पर मनन् किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया । वादपत्र के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह बात निर्विवादित रूप से स्पष्ट है कि वादी स्वयं अपने वाद पत्र की कलम संख्या 2 में उनके द्वारा दर्शाये गए सजरे में गोदा जाट को मूल पुरूष मानते है। इसके पूर्व का न तो कोई सजरा दिया गया है, न ही वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित मौरूसी सम्पत्ति है, इसका कोई भी वर्णन वादपत्र में किया गया है। इस कारण से वादग्रस्त आराजीयात मूल पुरूष गोदा जी की होने के कारण उनकी मृत्यु के पश्चात धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उनके पुत्र –पुत्री में निहित हुई एवं वे ही प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। इस प्रकरण में विवाद मात्र प्रतिवादी संख्या 1 श्री भेरूलाल के हिस्से की सम्पत्ति तक ही सीमित है न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2016 देहली पेज नम्बर 120 के अवलोकन अनुसार वादी को अपने वाद मे यह बताना आवश्यक है कि वादग्रस्त सम्पत्ति मौरूसी किस प्रकार से है। इस न्यायिक दृष्टांत में यह दर्शाया गया है कि **"No averment in the plaint that grandfather of claimant inherited property(S) from his paternal ancestors prior to 1956 – properties in the hands of late**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shri Punadia
Date: 2026.04.16 18:59:01 IST
Reason: SelfAttested

grandfather cannot be HUF properties in his hands – It can be said that suit does not disclose cause of action and hence liable to be dismissed." उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी वाद में मात्र यह अंकित कर देना कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी सम्पत्ति है पर्याप्त नही है। वादीगण को अपने वादपत्र में बताना होगा कि वादग्रस्त आराजीयात किस प्रकार से मौरूसी सम्पत्ति है एवं मूल पुरूष की मृत्यु सन् 1956 ई. के पूर्व हुई है अथवा बाद में तथा सन् 1956 के पूर्व एच.यू.एफ. बनी थी अथवा नही। वादग्रस्त भूमि आज भी संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित संपति है या नही ? साथ ही मूल पुरूष गोदा जी को संपति कैसे प्राप्त हुई। मूल पुरूष गोदा जी की मृत्यु कब हुई ? ऐसा कोई भी तथ्य वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित नही किया गया है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वादपत्र में भी ऐसे कोई तथ्य वर्णित नही किये गये है जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता हो कि वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभक्त मौरूसी सम्पत्ति है। वादीगण स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी संवत 2032–35 के अनुसार वादग्रस्त भूमि गोदा पिता सुडा जाट अकेले के नाम दर्ज थी। जमाबंदी पर लगे नोट अनुसार गोदा के निधन के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत इसके प्रथम श्रेणी के वारिसान नाथू, हीरा, दोला, भेरूलाल, कन्हैयालाल एवं मांगीलाल के निधन के कारण गोकल, मांगीलाल, भूरी के नाम विरासत के नामान्तरकरण से दर्ज हुई। इस प्रकार जमाबंदी पर अंकित नोट अनुसार गोदा के छ पुत्र नाथू, हीरा, दोला, भेरूलाल, कन्हैयालाल, मांगीलाल थे। जबकि वादी द्वारा अपने वाद पत्र के सजरे में गोदा के दो ही पुत्र बताए है अर्थात जमाबंदी पर अंकित विरासत के नामान्तरकरण एवं वादी द्वारा बताए गए सजरे में भिन्नता है। जिसको वादी द्वारा वाद पत्र में स्पष्ट नही किया गया है। वादी द्वारा वाद पत्र में कथन किया गया है कि गोदा के निधन के पश्चात वादग्रस्त भूमि भेरूलाल एवं कन्हैयालाल के नाम ही दर्ज हुई है। जबकि विरासत के नामान्तरकरण के अनुसार उसके पांच पुत्र एवं एक पुत्र के वारिसान के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार वादी द्वारा किए गए कथन एवं स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आपस में विरोधाभासी प्रतीत होते है। इससे स्पष्ट जाहीर होता है कि वादी द्वारा वाद स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नही कर तथ्यो को छुपाते हुए गलत तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत का विवेचन किया जाना उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested

(Rajasthan High Court)
Smt. Pura
Versus
Lalki and Another
S.B. Civil Writ Petition No. 3698 of 1996, decided on 16th April, 1999

Constitution of India, Art. 226-Relief - The persons who do not come before the Court with clean hands are not entitle for any relief even if they have got a good case on merits Secondly there was an alternative and efficacious remedy available and he has availed it, this petition is re-quired to be dismissed. (Paras 9, 10 &12)

Writ petition dismissed..

उक्त न्यायिक दृष्टांत का सद्भावनापूर्वक अध्ययन करने से स्पष्ट है कि जब वादीगण स्वच्छ हाथ लेकर न्यायालय में नही आता है तो भले ही गुणावगुण पर उसका मामला उचित हो, उसे कोई अनुतोष नही मिलना चाहिए। इस प्रकरण में भी वादी द्वारा न्यायालय मे स्वच्छ हाथो से वाद प्रस्तुत नही किया गोदा के वारिसान का सजरा एवं गोदा के निधन के पश्चात विरासत से पारित नामान्तरकरण में अंकित वारिसान का मिलान नही हो रहे है तथा इस संबंध में वादी द्वारा वाद पत्र में स्पष्ट भी नही किया गया।

न्यायालय द्वारा वादपत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर जाहीर आया की वाद पत्र की अनुतोष की कलम संख्या ख में स्पष्ट अंकित गया है कि दान पत्र को शून्य घोषित किया जावे। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि दान पत्र को शून्य घोषित करने या निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नही है। जबकि वाद पत्र में मुख्य रूप से अनुतोष वादीगण का दान पत्र शून्य घोषित कराने बाबत ही है। इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत सद्भावना पूर्वक विवेचन किया जाना उचित है जो इस प्रकार है किः—

[Citation: 2021(1) DNJ (Raj.) 174] RAJASTHAN HIGH COURT
IS.B. Civil Revision Petition No. 182 of 2017 With S.B. Civil Revision
Petition No. 216 decided on 11.2.2021]
Mahendra Kumar & Ors.
Versus
Maya Devi (Smt.) & Ors.

Civil rejected-Respondent Nos. 1 & 2 filed the suit to declare the deed and will to be void and in effect qua them-Main claimed is to cancel the Will and gift deed-Property alleged to be ancestral

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 18:53:01 IST
Reason: SelfAttested

and coparcenary- Only Civil Court has jurisdiction declare the documents voidable-held, No illegality in the order impugned and affirmed.

उक्त न्यायिक दृष्टांत का सद्भावनापूर्वक अध्ययन करने पर यह ही स्पष्ट होता है कि रजिस्टर्ड दान पत्र शून्य घोषित करने या निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नही है। इस प्रकरण में भी वादी द्वारा विक्रय पत्र शून्य घोषित करने का मुख्य अनुतोष चाहा गया है। दान पत्र शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादपत्र के बरूऐ ही वादीगण का वाद कोई वाद हेतुक प्रकट नही करता है। वादीगण का वाद वादीगण की प्लीडिंग्स के अनुसार भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत विधि वर्जित है। उपर्युक्त न्यायायिक दृष्टांत एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वादीगण का वाद खारिज योग्य पाया जाता है। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88—188—92—207 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री देवीलाल पिता भेरूलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री भेरूलाल पिता गोदा जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
2. श्री चुन्नीलाल पिता भेरूलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती गंगाबाई पुत्री भेरूलाल जी पत्नी धनराज जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार हाल मुकाम सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती अनसु पुत्री भेरूलाल जी पत्नी बाबुलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती जमनाबाई पुत्री भेरूलाल जी पत्नी मोहन जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार हाल मुकाम पीपलिया तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती कंकु पुत्री भेरूलाल जी पत्नी सुखलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार हाल मुकाम सालेरा खुर्द तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती तुलसीबाई पुत्री भेरूलाल जी पत्नी भगवानलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बडियार हाल मुकाम लदाना, वासनी कलॉ तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
8. श्री कन्हैयालाल पिता गोदा जी जाति जाट उम्र–वयस्क निवासी–बडियार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
9. श्री पटवारी पटवार हल्का बडियार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
10. श्री उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय, मावली तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)
11. राजस्थान राज्य जरिये, तहसीलदार मावली जिला–उदयपुर (राजस्थान)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188–92–207 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 39/21 (वाद) GCMS No. – 2021/74

यह वाद आज वास्ते अंतिम निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. के समक्ष प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88–188–92–207 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 13.02.2026 को न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested